उपर्युक्त तीन उपक्रमों के अलावा ऐसे कई अन्य उपक्रम भी हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय यद्यपि मध्य प्रदेश से बाहर हैं, परन्तु उनके एकक मध्य प्रदेश में हैं। उनमें से प्रमुख एकक इस प्रकार हैं :

क्रमांक	एकक का नाम
1.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण का भिलाई इस्पात संयंत्र।
2	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० का भोपाल एकक।
3.	भारत एल्यूमिनियम कं० लि० का कोरबा अल्यूमिनियम संकुल।
4.	राष्ट्रीय ताप बिजली निगम का कोरबा एकक।
5.	हिन्दुस्तान कापर लि० की मतंजखण्ड ताबां खानें।

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार इस राज्य में केन्द्रीय सरकार का कोई नया उपक्रम स्थापित नहीं किया जाएगा, किन्तु इसमें मौजूदा उपक्रमों के विस्तार का प्रस्ताव है। छठी पंचवर्षीय योजना में जिन प्रमुख उद्यमों के विस्तार का प्रस्ताव है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश में स्थित उन उपक्रमों की सूची, जिनका छठी पंचवर्षीय योजना में विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(30-7-82 का अतारांकित प्रश्न संख्या 35-46)

क्रमांक	उपक्रम का नाम
1.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण--भिलाई इस्पात संयंत्र।
2.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम--बैलडिला खाने।
3	हिन्दुस्तान कापर लि०--गलजखण्ड ताबां खानें।
4.	भारत अल्यूमिनियम कं० लि०--कोरबा अल्यूमिनियम संकुल
5.	भारतीय सीमेंट निगम--कुछ सीमेंट परियोजनाएं।
6.	नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०
7.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०--भोपाल एकक
8.	यूरेनिया कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०--जाजवाल, बोदल में खान और मिल

मध्य प्रदेश के जिलों में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि

3547. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाणिज्यिक बैंक मध्य प्रदेश के झाबुआ और रतलाम जिलों के आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए उप-योजना हेतु धनराशि नहीं दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनर्दन पुजारी) : (क) और (ख) लीड बैंक योजना के अंतर्गत जिलों के लिए तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्रवाई की आयोजना में जनजाति क्षेत्रों में उप आयोजनाओं के लिए बैंकों से प्राप्त होने वाली यथावश्यक ऋण सहायता संबंधी आवश्यकताएं भी शामिल की जाती हैं। बैंक उपर्युक्त जिलों में जनजाति की आबादी से संबंधित उप आयोजनाओं के लिए आवश्यक ऋण सहायता प्रदान कर रहे हैं। बैंक आफ बड़ौदा (झाबुआ के लिए लीड बैंक) से उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष, 1981 में झाबुआ जिले में सभी बैंकों द्वारा संवितरित राशि 348.29 लाख रुपये थी। बैंक ने यह भी बताया है कि यह जिला मुख्य रूप से अर्थात् लगभग 90 प्रतिशत जनजाति वाला जिला होने के कारण उसमें दिये जाने वाले ऋणों का संबंध जनजातियों से होता है। इसी प्रकार, सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया (रतलाम के लिए लीड बैंक) के अनुसार, मार्च, 1982 के मुताबिक, इस बैंक द्वारा रतलाम में अनुसूचित जन जातियों को दिये गये अग्रिमों की राशि लगभग 20 लाख रुपये तथा लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या लगभग 680 थी।

STEPS TO NEXT TAX-EVADING PROFESSIONALS

3548. SHRI S. M. KRISHNA :

SHRI K. MALLANNA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :